

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13-7-21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। साबिक कोर्ट की याचनानुसार अपीलकर्ता द्वारा वांछित सूचना कोर्ट को अपील तह रानी के उपलब्ध करार में नहीं है। सूचना नहीं है अपीलकर्ता को सूचित दिनांक 18-6-21 के पत्र प्रेषित काल से गमाया एक बाल पुत्र: 7 दिनों में याचनानुसार लिखा जाये। 7 दिनों में इस न्यायालय को सूचित नहीं करेगा या यह अपील निरस्त कर दी जायेगी। पत्रावली उपर कानून याचनानुसार की जाकर दिनांक 6/8/21 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर, बाली</p>	
<p>6/8/21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। पी. ओ. सा. अवकाश में है। पेशी इलका होकर पत्रावली दिनांक 31-8-21 को पेश हो।</p>	
<p>31-8-21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। साबिक कोर्ट की याचनानुसार की जाकर पत्रावली दिनांक 14-9-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर, बाली</p>	<p>1306 21/9/21</p>
<p>14-7-21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली में याचनानुसार इलाजा होकर पत्रावली दिनांक 5/10/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर, बाली</p>	
<p>5/10/21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलकर्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकाधिक अपीलकर्ता के तहत प्रस्तुत का लोड सूचना अधिकाधिक तहरीरदार रानी से सूचना चाही गई है। अपीलकर्ता द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में विशेषज्ञों तथा एग्री. शा. कां. की का गणना आदि तथा अन्य सूचना चाही जानकारी सूचना विवरण नहीं होने के कारण तहरीरदार द्वारा जारी पत्रावली सं. 2020/46 दि. 24-12-20 के 37 दि. 24-12-20 प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की है। इस न्यायालय के कारण अपीलकर्ता को सूचना विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया था अपील द्वारा विशेषज्ञों उपलब्ध किये जायत कोर्ट की प्रकृत प्रेषित नहीं किया गया तथा बिना विशेषज्ञों के सूचना दी जा सके नहीं है। एसी स्थिति में अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहे। निम्न अपील अपीलकर्ता इसी तरह पर रजिस्ट्रार की जारी है। निम्न की प्रति अपीलकर्ता को सूचना प्रेषित की जायेगी। पत्रावली सुकार प्रेषित हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर, बाली</p>	